न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां जिला शाहपुरा (राज.)

पीठासीन अधिकारी:- श्री राजकेश मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 67/2016 साबिक प्र.स. 108/2006

उगमान

1 उगमा पिता भागीरथ चमार उम्र-वयस्क निवासी फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां जिला शाहपुरा

---- वादीगण

बनाम

1 सरपंच, ग्राम पंचायत फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा
2 जिलाधीश महोदय, शाहपुरा जिला शाहपुरा
3 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार फुलियाकलां जिला भीलवाडा (राज.)
4 नन्दु पत्नि भूरा चमार उम्र-वयस्क निवासी फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां जिला शाहपुरा
5 प्रेम पुत्री भूरा चमार पत्नि बन्ना बैरवा उम्र-वयस्क निवासी बच्छखेडा तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा
6 घीसी पुत्री भूरा चमार पत्नि रामचन्द्र चमार उम्र-वयस्क निवासी फारकिया तहसील केकडी जिला अजमेर
7 सुखा पिता धन्ना बैरवा उम्र-वयस्क निवासी फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां जिला शाहपुरा
8 मु.सोहनी पुत्री नारायण पत्नि राजू बैरवा उम्र-वयस्क निवासी संतोषपुरा (हुकमपुरा) तहसील फूलियाकलां जिला शाहपुरा
9 मु.रामकुंवरी पुत्री नारायण पत्नि बन्ना बैरवा उम्र-वयस्क निवासी बच्छखेडा तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा
10 रुकमा पुत्री नारायण पत्नि भुवाना चमार उम्र-वयस्क निवासी माताजी का खेडा तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा

..... प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :::- श्री अमन औझा----वादी अधिवक्ता
राज्य पक्ष तहसीलदार फुलियाकलां

अनुपस्थित:- श्री रामप्रसाद जाट----अधिवक्ता विपक्षी क्र. 01

निर्णय

दिनांक - 03.04.2024

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने एक वाद पत्र खातेदारी अधिकारो की घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत प्रस्तुत किया। ग्राम फूलियाकलां पटवार हल्का क्षेत्र फूलियाकलां की सरहद में स्थित साबिक खसरा 1312 रकबा 03-15 बीघा भूमि पर वादी के पिता श्री भागीरथ चमार एवं अन्य के हक में सहखातेदारी था। पैमाईश कार्यवाही में इस साबिक खसरे से हाल आराजियात संख्या 3303, 3304, 3305 कायम हुए। परन्तु सेटलमेन्ट विभाग के अमीन द्वारा भूप्रबन्ध कार्यवाही करते समय राजस्व नक्शे में पूर्व की तुल्ना परिवर्तन कर दिया गया एवं साबिक खसरे के दक्षिणी हिस्से को आबादी भूमि के रूप दर्ज कर दिया गया। पूर्व में स्थित कुंए की स्थिति में परिवर्तन कर कुंए को काफी नीचे दर्शा दिया गया। इस कारित भूल से वादी के हित बेहद प्रभावित हुए है। जिसे दुरूस्त किया जाना अतिआवश्यक होने के साथ कानूनन वादी के हित में होगा। प्रतिवादी संख्या 01 की मिलीभगत से कारित गलत इन्द्राज सर्वथा विधि विरूद्ध व गैर कानूनी है। वादी इस दोषयुक्त ईन्द्राज को दुरूस्त करवाने का अधिकारी है।

अतः ग्राम फूलियाकलां पटवार हल्का क्षेत्र फूलियाकलां तहसील फुलियाकलां स्थित हाल खसरान संख्या 3303, 3304, 3305 की पैमाईश पूर्व स्थिति अनुसार साबिक खसरा संख्या 1315 व 1311 को हाल नक्शे में सही जगह तरमीम किया जाना फरमावें। पैमाईश पूर्व राजस्व नक्शे एवं रकबे अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 04 से 10 के खेत की सीमाओं की उद्घोषित किया जाना फरमावें। तथा साथ ही किए जाने वाले दुरूस्तकरण उपरान्त वादी के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण किसी प्रकार का दखल न तो स्वयं करें, न किसी अन्य से करावें इस आशय कि स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबंद किया जाना फरमावें।

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को दिनांक 12.05.2006 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुतिकरण जवाबदावा मुनासिब मौके लिए जाने के बावजूद अनुपालन नही किए जाने पर उनका अवसर समाप्त किया गया/एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

वादी पक्ष द्वारा बतौर गवाह श्री उगमा पिता भागीरथ के शहादत्त में प्रस्तुत शपथ–पत्र को रेकार्ड पर लिया जाकर, उन पर लाल श्याही से पी.डब्ल्यू.–01 एवं समर्थन में संलग्न राजस्व आधार अभिलेखों पर आवश्यक प्रदर्श के अंकन किये गये। तदोउपरान्त वादी के नियुक्त विद्वान अभिभाषक ने बहस में अपने अभिवचनों से वादपत्र की समस्त कलमों को दोहराते हुए, वादपत्र को मंजूर किए जाने का अनुरोध किया।

प्रकरण का अधो–पांत अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के समर्थन मे प्रस्तुत, शपथपत्रों, राजस्व अभिलेख एवं प्रर्दश कराये गये दस्तावेज के तुल्नात्मक परीक्षण/विश्लेषण परिणामस्वरूप न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ग्राम फूलियाकलां के साबिक खसरा 1312 रकबा 03–15 बीघा भूमि पर वादी के पिता श्री भागीरथ चमार व उनके अन्य भाई भूरा, सुखा व नारायण का सयुंक्त हक स्वामित्व था। इसकी ताईद प्रदर्श दस्तावेज संख्या 03 जमाबन्दी संवत् 2037–40 से हुई है। हाल खसरा संख्या 3303, 3304, 3305 का साबिक खसरा नम्बर 1312 से नवीन निर्मित होना पाया गया है। यह तथ्य प्रदर्श दस्तावेज संख्या 05 भूप्रबन्ध के मिलान क्षेत्रफल के अवलोकन से प्रमाणित हुआ है। हाल खसरान 3303, 3304, 3305 किता 3 रकबा 0.95 हैक्टयर भूमि हाल रेकार्ड में भी पूर्वानुसार स्व. भागीरथ चमार के निहित 1/4 हिस्से तक वादी के नाम पर दर्ज है।

साबिक राजस्व नक्शे प्रदर्श–6 एवं हाल राजस्व नक्शे प्रदर्श–01, 04 के तुल्नात्मक विश्लेषण से न्यायालय यह समझता है कि नक्शे की तरमीम में बहुत ज्यादा कोई परिवर्तन होना नही पाया गया है। यद्पि कुंए की स्थिति में हल्का सा परिवर्तन हुआ हो, यह कहा जा सकता है। जिसे दुरूस्त किया जा सकता है।

वादीगण का यह कहना है कि साबिक खसरा संख्या 1315, 1311 को हाल नक्शे में सही जगह तरमीम किया जावें लेकिन रेकार्ड पर उपलब्ध कराया गया साबिक राजस्व नक्शा प्रदर्श 06 में दर्शित साबिक खसरा 1315, 1311 की स्थिति के मिलान हेतु हाल राजस्व नक्शा ही रेकार्ड पर उपलब्ध नही है। न्यायालय यह मानता है कि अपने अपने समर्थन में प्रस्तुत कराये जाने वाले दस्तावेजात/सबूत का पर्याप्त होना और स्पष्ट होना आवश्यक है, उन्ही के आधार पर ही पक्षकारों के हितों का निर्धारण किया जा सकता है।

देखने पर यह सूस्पष्ट है कि पुराने व चालू नक्शे में कोई ज्यादा परिवर्तन नही होना पाया गया है। फिर भी देखा जाये तो प्रदर्श कराये गये दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट हुआ है कि पैमाईश कार्यवाही के दौरान कुंए की स्थिति में हल्का सा परिवर्तन हुआ है। जिसे दुरूस्त कराये जाने का वादी हकदार है। वादी पक्ष द्वारा दावे के माध्यम प्रस्तुत दलील/अभिवचन आंशिक स्वीकृत किये जाते है।

अतः इस प्रकार प्रकरण के अधो–पांत अवलोकन करने से तथा वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र की तायद मे शपथपत्र तथा शहादत्त वादी में वादपत्र के समर्थन मे प्रस्तुत राजस्व अभिलेख एवं प्र्रदश कराये गये दस्तावेज के अध्ययन एवं विश्लेषण पश्चात न्यायालय वादी के वादपत्र व–हक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी आंशिक रुप से स्वीकार किये जाने योग्य मानता है।

::: आदेश :::

वाद–पत्र वहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि–वाके ग्राम फूलियाकलां प.ह.क्षेत्र फूलियाकलां तहसील फुलियाकलां की सरहद में स्थित साविक आराजी संख्या 1312 के साविक राजस्व नक्शे में पैमाईश पूर्व की स्थिति अनुसार कुंएं को हाल राजस्व नक्शे में फिट कर, तरमीम की जावें। यह ध्यान रखा जावें कि रकवे/क्षेत्रफल में किसी प्रकार का परिवर्तन न होने पाये। तहसीलदार फुलियाकलां राजस्व नक्शें में अमल दरामद करें। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 03.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकेश मीना)
उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकला
जिला शाहपुरा